



संदर्भ सं.: आईआरडीए/एफ&आई/एमआईएससी/सीआईआर/134/05/2021

Ref. No: IRDA/F&I/MISC/CIR/134/05/2021

दिनांक / Date: 11-05-2021

परिपत्र  
Circular

प्रति / To,

सभी बीमाकर्ताओं के सीएमडी/सीईओ  
The CMDs/ CEOs of All Insurers

**कर्मचारी स्टॉक विकल्पों (ईएसओपी) का प्रयोग - बीमा अधिनियम-1938 के अनुच्छेद  
6ए(4)(बी) के प्रावधान की प्रयोज्यता**

**Exercise of Employee Stock Options (ESOPs) – Applicability of provision of  
Section 6A (4) (b) of the Insurance Act, 1938**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक) दिशा-निर्देश, 2016 के (i)परिच्छेद 7 और आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का स्थानान्तरण) विनियम 2015 के विनियम 2 की (ii) धारा (ग) की और संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें निम्न प्रावधान हैं:

Reference is drawn to (i) para 7 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016; and (ii) Clause (c) of Regulation 2 of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015 which provide as under:

1. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक) दिशा-निर्देश, 2016 का परिच्छेद 7.  
Para 7 of IRDAI (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016

*“ईएसओपी को कुल पारिश्रमिक की गणना से बाहर रखा गया है लेकिन ईएसओपी की सीमा तर्कसंगत होनी चाहिए। अनुदत्त ईएसओपी के विवरण, बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों के लिए निर्धारित प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार घोषित भी किए जाने चाहिए।*

*“ESOP is kept outside the computation of the total remuneration but the extent of ESOP should be reasonable. The details of ESOP granted should also be disclosed in terms of the disclosure requirements stipulated for the financial statements of the Insurers.*

*यदि बीमा कंपनी के शेयर ईएसओपी के रूप में प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों को पेश किये गए हैं, तब:*

*In case the shares of the insurance company are offered as ESOPs to Managing Director / Chief Executive Officer / Whole Time Directors, then:*

- i. *यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रबंध निदेशक /पूर्णकालिक निदेशक किसी प्रोमोटर /निवेशक या प्रोमोटर से सीधे संबंधित है तब वे सेबी (उद्यम इक्विटी जारी करना) विनियम, 2002 समय-*

समय पर यथा संशोधित, शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित के अतिरिक्त, प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। शेयरों के मूल्यांकन को तरीकों का प्राधिकरण को अग्रिम रूप से खुलासा किया जाएगा।

- i. If the CEO/MD/WTDs is one of the promoters / investors or directly related to the promoters, then the same will be governed by the provisions of SEBI (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002 as amended from time to time except those relating to pricing of shares. The manner of pricing of shares shall be disclosed upfront to the Authority.
- ii. अन्य मामलों में, वह सेबी के ईएसओपी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगा।”
- ii. In other cases, the same will be governed by the SEBI's ESOP guidelines.”

2. आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का स्थानान्तरण) विनियम, 2015 के विनियम 2 की धारा(ग)

Clause (c) of regulation 2 of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015

“शेयरों को स्थानान्तरण” में वर्तमान शेयरधारक से अन्य व्यक्ति को शेयरों का स्थानान्तरण और इक्विटीशेयरों का हस्तांतरण व नया निर्गमन शामिल है, जो किसी बीमा कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव करते हैं।

“Transfer of Shares” includes transfer of shares from existing shareholder to another person and includes transmission and fresh issuance of equity shares which lead to change in the shareholding pattern of an insurance company.

प्राधिकरण पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य कार्यकारी निदेशक और प्रबंध निदेश के पारिश्रमिक को स्वीकृति प्रदान करते समय ईएसओपी अनुदत्त करने और/या हवाले करने पर भी विचार करता है। तथापि, कुछ मामलों में, यह पाया गया है कि एक या अधिक केपीएम द्वारा ईएसओपी का प्रयोग एकल रूप से या संयुक्त रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 6ए(4)(बी) में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक है। तदनुसार, ऐसे ईएसओपी के प्रयोग का परिणाम उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों के आह्वान में होता है।

The Authority, while approving the remuneration of Whole-time Director, Chief Executive Director and Managing Director, is also considering the granting and / or vesting of ESOPs. However, in a few cases, it has been observed that the exercise of ESOP by one or more KMPs whether singly or jointly is beyond the threshold limits specified in Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938. Accordingly, the exercise of such ESOPs results in invocation of the provisions of the said section.

3. इसलिए यह निम्न प्रकार दोहराया जाता है:

It is therefore reiterated as under:

- क. सभी ईएसओपीएस, अनुदत्त करते समय आईआरडीएआई बीमाकर्ताओं के (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक) दिशा-निर्देश 2016 के अंतर्गत आवेदन फाइल करने के एक अंग के रूप में प्राधिकरण को रिपोर्ट किये जाएंगे;
- a. All ESOPs, at the time of grant, shall be reported to the Authority preferably as a part of the application filed under IRDAI (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016;
- ख. ईएसओपी का प्रयोग, आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का स्थानान्तरण) विनियम, 2015 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 6ए(4) (बी) के प्रावधान के अंतर्गत है;

- b. Exercise of ESOP is subject to provision of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938 read with IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;
- ग. जहाँ बीमाकर्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ईएसओपी के निर्गमन के लिए विशिष्ट न्यास का गठन किया गया है ऐसे न्यास को शेयर निर्गत करना और एक या अधिक कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग करना आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयरों का स्थानान्तरण विनियम, 2015 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 6ए के दायरे में आता है।
- c. Where specific trust has been formed by an insurer for issuance of ESOPs to their employees, the issue of shares to such trust and exercise of option by one or more employees shall also fall within the ambit of the Section 6A of the Insurance Act, 1938 read with IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;
- घ. जहाँ एक या अधिक केएमपी द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से, बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 6ए(4)बी में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक ईएसओपी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी।
- d. Where exercise of ESOP by one or more KMPs whether singly or jointly is beyond the threshold limit specified in Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938, the prior approval of the Authority shall be sought before such exercise.

सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त को, अनुपालन के लिए नोट करें।  
All insurers are advised to take note of the above for compliance.

हस्ताक्षरित / Sd/-

(डॉ. ममता सूरी / Dr. Mamta Suri)

मुख्य महाप्रबंधक (एफ & ए) / Chief General Manager (F&A)